



कार्यालय नगर विकास न्यास, पाली

जिला कलेक्ट्रेट परिसर, पाली

फोन नं. 02932-223222

ई मेल – uitpali@gmail.com

क्रमांक :: UIT/LAYOUT/2022/2025

दिनांक :: 22 अगस्त, 2022

ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 का कार्यवाही विवरण

सचिव, नगर विकास न्यास, पाली की अध्यक्षता में गठित ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 22.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, सचिव, नगर विकास न्यास, पाली अध्यक्ष
2. श्री सुरेन्द्र कुमार विश्‍नोई, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, पाली सदस्य
3. श्रीमती सुमन चौधरी, उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, पाली सदस्य सचिव

सर्वप्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आउट प्लान प्रस्तुत किये गये, जिस पर समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 593/2 की रकबा 12-00 बीघा भूमि में से 19353.06 वर्गमीटर भूमि पर विकसित "सूरज विहार आवासीय योजना" का योजना मानचित्र अनुमोदन।

पाली मास्टर प्लान 2035 के अनुसार राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 593/2 की रकबा 12-00 बीघा भूमि में से 19353.06 वर्गमीटर भूमि आवासीय व व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा में राजस्व रास्ता विद्यमान है, जिसका मार्गाधिकार पाली मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग मानचित्र में 60 फीट प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि व प्रस्तावित सड़क के मध्य राजकीय भूमि विद्यमान है। उक्त राजकीय भूमि में से होकर प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है, जिसकी नियमानुसार राशि ली जानी प्रस्तावित है। प्रश्नगत भूमि की उत्तरी हिस्से से होकर 132 के.वी. की विद्युत हाईटेन्शन लाईन गुजर रही हैं। नगर मित्र द्वारा प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेजों के अनुसार इस आवासीय कॉलोनी का नाम "सूरज विहार आवासीय योजना" है। प्रश्नगत भूमि के आस-पास कुछ आवासीय योजनाओं के प्लट विलेख प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत नगर परिषद्, पाली द्वारा जारी किये गये हैं।

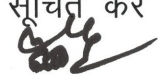
सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा उपयोग मास्टर प्लान के अनुरूप है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की सपठित धारा 90-क (5) के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर-कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए भूमि संपरिवर्तन के आदेश नगर परिषद्, पाली द्वारा जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के क्रम में तहसीलदार (राजस्व), पाली द्वारा प्रश्नगत भूमि, राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर परिषद्, पाली के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर पटवारी, पटवार मण्डल, पाली चक द्वितीय एवं तहसीलदार, पाली द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। उक्त योजना में पट्टे हेतु आवेदन नगर विकास न्यास में प्राप्त हुए हैं।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, पाली की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। प्रकरण में न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर निर्माण/चारदीवारी विद्यमान है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक द्वारा किया गया है।

निर्णय :-

उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर पाली मास्टर प्लान में प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि छोड़े जाते हुए राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 593/2 की रकबा 12-00 बीघा भूमि में से 19353.06 वर्गमीटर भूमि पर विकसित "सूरज विहार आवासीय योजना" का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। चूकिं प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा में 132 के.वी. की विद्युत लाईन विद्यमान है, अतः भवन विनियमों के प्रावधानानुसार सेफ्टी कॉरीडोर छोड़ा जाना होगा, जिसे योजना मानचित्र में दर्शित कर दिया गया है। सेफ्टी कॉरीडोर के नीचे आ रहे भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही नहीं की जावे। प्रश्नगत भूमि को उपलब्ध होने वाले पहुँच मार्ग की भूमि नगर विकास न्यास, पाली के स्वामित्व की भूमि है, अतः नियमानुसार शुल्क देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या 2(v) में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जावे। समस्त प्रकार के शुल्क राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/दिशा निर्देशों के अनुसार वसूल किये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर सड़क के मार्गाधिकार की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय से प्रार्थी को भी सूचित कर दिया जावें।



2. राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 598/4 की रकबा 14002.00 वर्गमीटर भूमि पर विकसित "लक्ष्मी विहार आवासीय योजना" का योजना मानचित्र अनुमोदन।

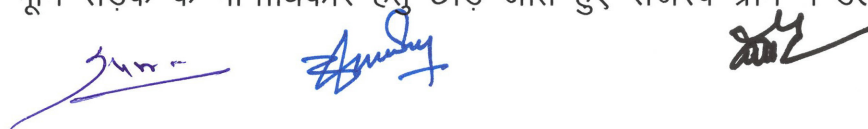
पाली मास्टर प्लान 2035 के अनुसार राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 598/4 की रकबा 14002.00 वर्गमीटर भूमि मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि के दक्षिण-पूर्वी भाग से होकर ढेण्डा से मण्डली खुर्द जाने वाली सड़क गुजर रही है, जिसका मार्गाधिकार पाली मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग मानचित्र 100 फीट प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर-पश्चिमी दिशा से होकर एस.एस. डबल्यू.एस. केनाल विद्यमान है, जिसके सहारे-सहारे पाली मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग मानचित्र में 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई हैं। नगर मित्र द्वारा प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेजों के अनुसार इस योजना का नाम "लक्ष्मी विहार आवासीय योजना" है। इस आवासीय कॉलोनी के योजना मानचित्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में एक बड़ा एकल भूखण्ड दर्शित किया गया है। प्रश्नगत भूमि के आस-पास कुछ आवासीय योजनाओं के प्लेटा विलेख प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत नगर परिषद्, पाली द्वारा जारी किये गये हैं।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा उपयोग मास्टर प्लान के अनुरूप है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की सपठित धारा 90-क (5) के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर-कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए भूमि संपरिवर्तन के आदेश नगर परिषद्, पाली द्वारा जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के क्रम में तहसीलदार (राजस्व), पाली द्वारा प्रश्नगत भूमि की भूमि संपरिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर परिषद्, पाली के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर पटवारी, पटवार मण्डल, मण्डली खुर्द एवं तहसीलदार, पाली द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। उक्त योजना में पट्टे हेतु आवेदन नगर विकास न्यास में प्राप्त हुए हैं।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, पाली की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। प्रकरण में न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर निर्माण/चारदीवारी विद्यमान है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक द्वारा किया गया है।

निर्णय :-

उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर ढेण्डा से मण्डली खुर्द जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100 रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट भूमि सड़क के मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाते हुए राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के



खसरा नम्बर 598/4 की रकबा 14002.00 वर्गमीटर भूमि पर विकसित "लक्ष्मी विहार आवासीय योजना" का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। योजना मानचित्र में दर्शाये अनुसार, पाली मास्टर प्लान 2035 में एस.एस.डबल्यू. एस. केनाल के सहारे-सहारे दर्शित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि सड़क के मार्गाधिकार हेतु छोड़ी जानी होगी। योजना मानचित्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में दर्शित एकल भूखण्ड का भविष्य में यदि खातेदार द्वारा किसी प्रकार का उपविभाजन प्लान प्रस्तुत किया जाता है, तो तत्समय में प्रभावी नियमों/परिपत्रों में अनुगमन में कार्यवाही की जावेगी। समस्त प्रकार के शुल्क राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/दिशा निर्देशों के अनुसार वसूल किये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर सड़क के मार्गाधिकार की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय से प्रार्थी को भी सूचित कर दिया जावे।

3. राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 600/1 व 600/2 की रकबा 46252.27 वर्गमीटर भूमि पर विकसित "प्रेम विहार आवासीय योजना" का योजना मानचित्र अनुमोदन।

पाली मास्टर प्लान 2035 के अनुसार राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 600/1 व 600/2 की रकबा 46252.27 वर्गमीटर भूमि मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि के दक्षिण-पूर्वी भाग से होकर ढेण्डा से मण्डली खुर्द जाने वाली सड़क गुजर रही है, जिसका मार्गाधिकार पाली मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग मानचित्र 100 फीट प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर-पश्चिमी दिशा से होकर एस.एस.डबल्यू.एस. केनाल विद्यमान है, जिसके सहारे-सहारे पाली मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग मानचित्र में 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई हैं। नगर मित्र द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार इस योजना का नाम "प्रेम विहार आवासीय योजना" है। प्रश्नगत भूमि के आस-पास कुछ आवासीय योजनाओं के पट्टा विलेख प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012 के तहत नगर परिषद्, पाली द्वारा जारी किये गये हैं।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा उपयोग मास्टर प्लान के अनुरूप है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की सपठित धारा 90-क (5) के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर-कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए भूमि संपरिवर्तन के आदेश नगर परिषद्, पाली द्वारा जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के क्रम में तहसीलदार (राजस्व), पाली द्वारा प्रश्नगत भूमि की भूमि संपरिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर परिषद्, पाली के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर पटवारी, पटवार मण्डल, मण्डली खुर्द एवं तहसीलदार, पाली द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का

प्रमाणीकरण किया गया है। उक्त योजना में पट्टे हेतु आवेदन नगर विकास न्यास में प्राप्त हुए हैं।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, पाली की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। प्रकरण में न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर निर्माण/चारदीवारी विद्यमान है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक द्वारा किया गया है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.2(16)Vidhi/2/ 2022, Jaipur दिनांक 06.04.2022 में किये गये संशोधन द्वारा धारा 90-ए में कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनीयों के सूओ-मोटो द्वारा नियमन किये जाने की कट-ऑफ दिनांक 17.06.1999 को बढ़ाकर दिनांक 31.12.2021 कर दी गई है। अतः पूर्व की विकसित कॉलोनीयों में 70:30 अनुपात रखा जाकर ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जा सकता है।

निर्णय :-

उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर ढेण्डा से मण्डली खुर्द जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100 रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट भूमि सड़क के मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाते हुए राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 600/1 व 600/2 की रकबा 46252.27 वर्गमीटर भूमि पर विकसित "प्रेम विहार आवासीय योजना" का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। योजना मानचित्र में दर्शाये अनुसार, पाली मास्टर प्लान 2035 में एस.एस.डबल्यू. एस. केनाल के सहारे-सहारे दर्शित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि सड़क के मार्गाधिकार हेतु छोड़ी जानी होगी। समस्त प्रकार के शुल्क राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/दिशा निर्देशों के अनुसार वसूल किये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर सड़क के मार्गाधिकार की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय से प्रार्थी को भी सूचित कर दिया जावें।

4. राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 571 की रकबा 1.0846 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 572 (पार्ट) की भूमि में से 0.1860 हैक्टेयर भूमि पर विकसित "मयंक सिटी आवासीय योजना" का योजना मानचित्र अनुमोदन।

पाली मास्टर प्लान 2035 के अनुसार राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 571 की रकबा 1.0846 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 572 (पार्ट) की भूमि में से 0.1860 हैक्टेयर भूमि भूमि मिश्रित, आवासीय तथा वृक्षारोण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा में राज्य राजमार्ग संख्या 67 तथा पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 विद्यमान है। पाली मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग प्रस्तावों में राज्य राजमार्ग संख्या 67 का मार्गाधिकार 100 फीट तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित

किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से दोनो तरफ 100'-100' चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। नगर मित्र द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार इस आवासीय कॉलोनी का नाम "मयंक सिटी" है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा उपयोग मास्टर प्लान के अनुरूप है। राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 571 की रकबा 1.0846 हैक्टेयर भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन के आदेश पूर्व में नगर परिषद्, पाली द्वारा जारी किये गये थे, परन्तु प्रार्थी द्वारा रिसोर्ट का पट्टा नहीं लिया गया, वरन् अनाधिकृत रूप से भूमि को आवासीय भूखण्डों में विभक्त कर बेचान कर दिये गये। इसी योजना में सम्मिलित खसरा नम्बर 572 (पार्ट) की भूमि में से 0.1860 हैक्टेयर भूमि की भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं हुई थी, इसलिये अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की सपठित धारा 90-क (5) के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर-कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए भूमि संपरिवर्तन के आदेश नगर विकास न्यास, पाली द्वारा जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के क्रम में तहसीलदार (राजस्व), पाली द्वारा प्रश्नगत भूमि की भूमि संपरिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर विकास न्यास, पाली के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर पटवारी, पटवार मण्डल, मण्डली खुर्द एवं तहसीलदार, पाली द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। सुपरइम्पोज किये गये योजना मानचित्र के अनुसार स्वामित्व की भूमि से अधिक भूमि पर योजना बनाई जाकर भूखण्डों का विक्रय कर दिया गया है। अधिक भूमि सम्भवतः राजकीय भूमि है, जिसका नियमानुसार निस्तारण किया जाना है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, पाली की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। प्रकरण में न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर निर्माण/चारदीवारी विद्यमान है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक द्वारा किया गया है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि पाली मास्टर प्लान 2035 में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के मार्गाधिकार के उपरान्त 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है, परन्तु मौके पर वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित स्थल पर निर्माण विद्यमान है।

निर्णय :-

उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत भूमि के प्रस्तुत योजना मानचित्र में दर्शित स्वामित्व से अधिक भूमि एवं वृक्षारोपण पट्टी विद्यमान निर्माणों बाबत प्रकरण समस्त तथ्यों सहित राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने

हेतु उप नगर नियोजक को निर्देशित किया गया। राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावे। उक्त निर्णय से प्रार्थी को भी सूचित कर दिया जावे।

5. राजस्व ग्राम पुनायता के खसरा नम्बर 310/32 की रकबा 13 बीघा भूमि में से 7 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर विकसित "समयन्तक मणि आवासीय योजना" का योजना मानचित्र अनुमोदन।

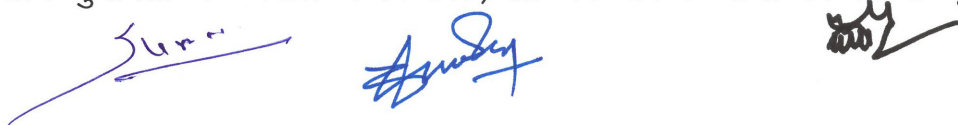
पाली मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग प्रस्तावों के अनुसार राजस्व ग्राम पुनायता के खसरा नम्बर 310/32 की रकबा 13 बीघा भूमि में से 7 बीघा 04 बिस्वा भूमि आवासीय भू-उपयोग प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में एस.एस.डबल्यू.एस. केनाल विद्यमान है, जिसके सहारे-सहारे मास्टर प्लान में 30 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। प्रश्नगत भूमि के पूर्व दिशा में अनुमोदित योजना में प्रस्तावित 40 फीट चौड़ी सड़क तथा एस.एस.डबल्यू.एस. केनाल के सहारे-सहारे स्थित सड़क से आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रश्नगत भूमि के पूर्वी दिशा में "आशापूर्णा टाउनशिप एक्सटेंशन आवासीय योजना" का योजना मानचित्र ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें राजस्व ग्राम पुनायता के खसरा नम्बर 310/32 की रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि सम्मिलित रही है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा उपयोग मास्टर प्लान के अनुरूप है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की सपठित धारा 90-क (5) के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर-कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए भूमि संपरिवर्तन के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के क्रम में तहसीलदार (राजस्व), पाली द्वारा प्रश्नगत भूमि, राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर विकास न्यास, पाली के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान पर पटवारी, पटवार मण्डल, पुनायता एवं तहसीलदार, पाली द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, पाली की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। प्रकरण में न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर निर्माण/चारदीवारी विद्यमान है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक द्वारा किया गया है।

निर्णय :-

उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर राजस्व ग्राम पुनायता के खसरा नम्बर 310/32 की शेष 7 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर



विकसित “समयन्तक मणि आवासीय योजना” का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। एस.एस.डबल्यू.एस. केनाल के सहारे-सहारे मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क का अंकन योजना मानचित्र में कर दिया गया है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क के मार्गाधिकार में आने वाले भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही नहीं की जावे। इन भूखण्डों के नियमन हेतु मार्गदर्शन राज्य सरकार/मुख्य नगर नियोजक से प्राप्त करने की कार्यवाही करने हेतु उप नगर नियोजक को निर्देशित किया गया। समस्त प्रकार के शुल्क राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/दिशा निर्देशों के अनुसार वसूल किये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर सड़क के मार्गाधिकार की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय से प्रार्थी को भी सूचित कर दिया जावें।

6. राजस्व ग्राम पाली चक-द्वितीय के खसरा नम्बर 1847/394 की रकबा 10 बीघा भूमि पर विकसित “महावीर कॉलोनी आवासीय योजना” का योजना मानचित्र अनुमोदन।

पाली मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग प्रस्तावों के अनुसार राजस्व ग्राम पाली चक-द्वितीय के खसरा नम्बर 1847/394 की रकबा 10 बीघा भूमि आवासीय भू-उपयोग प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि के उत्तर-पश्चिमी भाग में न्यास द्वारा अनुमोदित योजना विद्यमान हैं, जिसमें से प्रस्तावित सड़को से प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर-पूर्वी भाग से होकर मास्टर प्लान में प्रस्तावित 150' चौड़ी विद्यमान है। नगर मित्र द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार इस योजना का नाम “महावीर कॉलोनी आवासीय योजना” है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा उपयोग मास्टर प्लान के अनुरूप है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की सपठित धारा 90-क (5) के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर-कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए भूमि संपरिवर्तन के आदेश नगर परिषद्, पाली द्वारा जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के क्रम में तहसीलदार (राजस्व), पाली द्वारा प्रश्नगत भूमि की भूमि संपरिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर परिषद्, पाली के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर पटवारी, पटवार मण्डल, पाली चक-द्वितीय एवं तहसीलदार, पाली द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, पाली की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि

अवाप्ति में भी नहीं है। प्रकरण में न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर निर्माण/चारदीवारी विद्यमान है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक द्वारा किया गया है। इस आवासीय योजना में पट्टे हेतु आवेदन नगर विकास न्यास में प्राप्त हुए हैं।

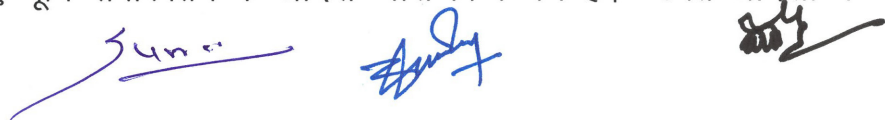
निर्णय :-

उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर राजस्व ग्राम पाली चक-द्वितीय के खसरा नम्बर 1847/394 की रकबा 10 बीघा भूमि पर विकसित "महावीर कॉलोनी आवासीय योजना" का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत भूमि के उत्तर-पूर्वी भाग में दर्शित मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क के मार्गाधिकार में आने वाले भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही नहीं की जावे। इन भूखण्डों के नियमन हेतु मार्गदर्शन राज्य सरकार/मुख्य नगर नियोजक से प्राप्त करने की कार्यवाही करने हेतु उप नगर नियोजक को निर्देशित किया गया। समस्त प्रकार के शुल्क राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/दिशा निर्देशों के अनुसार वसूल किये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावें। पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर सड़क के मार्गाधिकार की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय से प्रार्थी को भी सूचित कर दिया जावें।

7. राजस्व ग्राम पाली चक प्रथम के खसरा नम्बर 1101 की भूमि में से 4047 वर्गमीटर भूमि पर विकसित "विनायक नगर एक्सटेंशन आवासीय योजना" का योजना मानचित्र अनुमोदन।

पाली मास्टर प्लान 2035 के अनुसार राजस्व ग्राम पाली चक प्रथम के खसरा नम्बर 1101 की भूमि में से 4047 वर्गमीटर भूमि मिश्रित प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि के पूर्व दिशा में राजस्व ग्राम पाली चक प्रथम के खसरा नम्बर 1087/2 (पार्ट) की भूमि पर विकसित "विनायक नगर आवासीय योजना" विद्यमान है। "विनायक नगर आवासीय योजना" के योजना मानचित्र में प्रस्तावित सड़क तथा बेवटा रोड़ नेटवर्क प्लान में अनुमोदित 60 फीट चौड़ी सड़क से प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगर मित्र द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार इस आवासीय कॉलोनी का नाम "विनायक नगर एक्सटेंशन" है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा उपयोग मास्टर प्लान के अनुरूप है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की सपठित धारा 90-क (5) के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर-कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए भूमि संपरिवर्तन के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के क्रम में



तहसीलदार (राजस्व), पाली द्वारा प्रश्नगत भूमि, राजस्व रेकार्ड में नगर विकास न्यास, पाली के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर पटवारी, पटवार मण्डल, पाली चक प्रथम एवं तहसीलदार, पाली द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, पाली की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। प्रकरण में न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर निर्माण/चारदीवारी विद्यमान है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक द्वारा किया गया है। प्रश्नगत भूमि के योजना मानचित्र में विक्रय योग्य क्षेत्रफल एवं सुविधा क्षेत्र की भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट- VIII जयपुर, दिनांक 30/11/2021 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप रखे जाने हेतु योजना के भीतरी सड़को के मार्गाधिकार में वृद्धि की गई है।

निर्णय :-

उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर पाली चक प्रथम के खसरा नम्बर 1101 की भूमि में से 4047 वर्गमीटर भूमि पर विकसित "विनायक नगर एक्सटेंशन आवासीय योजना" का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। योजना मानचित्र में दर्शाये अनुसार सड़को का मार्गाधिकार रखे जाने के उपरान्त शेष क्षेत्रफल के भूखण्डों के ही पट्टा विलेख जारी किये जावे। समस्त प्रकार के शुल्क राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/दिशा निर्देशों के अनुसार वसूल किये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर सड़क के मार्गाधिकार की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय से प्रार्थी को भी सूचित कर दिया जावे।

8. राजस्व ग्राम पाली चक-द्वितीय के खसरा नम्बर 387 की रकबा 33239.02 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र अनुमोदन।

पाली मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग प्रस्तावों के अनुसार राजस्व ग्राम पाली चक-द्वितीय के खसरा नम्बर 387 की रकबा 33239.02 वर्गमीटर भूमि आवासीय व मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्नगत भूमि के दक्षिण-पश्चिमी भाग में पूर्व में नगर परिषद् द्वारा अनुमोदित योजना विद्यमान हैं, जिसमें से प्रस्तावित सड़को से प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रश्नगत भूमि के मध्य भाग से होकर मास्टर प्लान में प्रस्तावित 150' चौड़ी विद्यमान है।

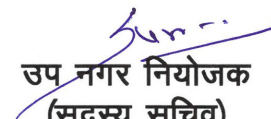
सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए किया जा रहा उपयोग मास्टर प्लान के अनुरूप है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की सपठित धारा 90-क (5) के प्रावधानों के तहत स्वप्रेरणा से और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर-कृषि आवासीय

प्रयोजनार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए भूमि संपरिवर्तन के आदेश नगर परिषद्, पाली द्वारा जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के क्रम में तहसीलदार (राजस्व), पाली द्वारा प्रश्नगत भूमि की भूमि संपरिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर परिषद्, पाली के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर पटवारी, पटवार मण्डल, पाली चक-द्वितीय एवं तहसीलदार, पाली द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। नगर परिषद् कार्यालय, पाली से पत्राचार करने पर यह तथ्य अवगत करवाया गया कि पूर्व में प्रश्नगत भूमि पर वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा "महाराजा नगर" नामक आवासीय योजना अनुमोदित की गई है, परन्तु अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप कोई पट्टा विलेख जारी नहीं किया गया है। चूकिं प्रश्नगत भूमि की भूमि संपरिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक 06.02.2014 के पश्चात् की गई है, अतः राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आगामी समस्त कार्यवाही नगर विकास न्यास, पाली के स्तर पर की जानी हैं। प्रार्थी अनुमोदित योजना मानचित्र में वर्तमान में प्रचलित पाली मास्टर प्लान 2035 के अनुरूप संशोधन चाहता है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, पाली की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। प्रकरण में न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर निर्माण विद्यमान है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक द्वारा किया गया है।

निर्णय :-

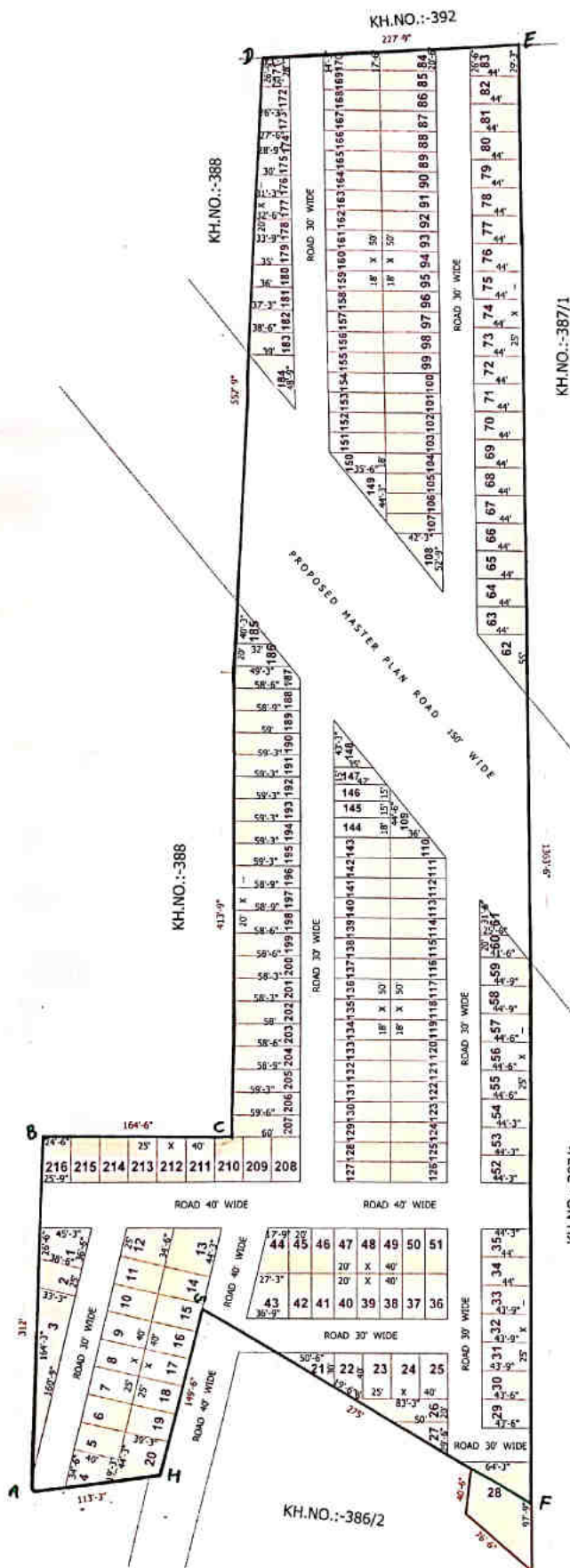
उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर राजस्व ग्राम पाली चक-द्वितीय के खसरा नम्बर 387 की रकबा 33239.02 वर्गमीटर भूमि के योजना मानचित्र में वर्तमान में प्रचलित मास्टर प्लान 2035 के भू-उपयोग मानचित्र में प्रस्तावित भू-उपयोग व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप पुराने अनुमोदित योजना मानचित्र के अतिक्रमण में प्रश्नगत भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ नवीन योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत भूमि के मध्य भाग में दर्शित मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क के मार्गाधिकार में आने वाली भूमि निःशुल्क नगर विकास न्यास, पाली के हक में सड़क के मार्गाधिकार हेतु समर्पित की जानी होगी। समस्त प्रकार के शुल्क राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/दिशा निर्देशों के अनुसार वसूल किये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर सड़क के मार्गाधिकार की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय से प्रार्थी को भी सूचित कर दिया जावे।


उप नगर नियोजक
(सदस्य सचिव)
नगर विकास न्यास, पाली


अधिशाषी अभियन्ता
(सदस्य)
नगर विकास न्यास, पाली


सचिव
(अध्यक्ष)
नगर विकास न्यास, पाली

**PROPOSED LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME
"SHREE - KUNJ" SITUATED ON KHASRA NO. 387,
REVENUE VILLAGE PALI CHAK IIInd.**

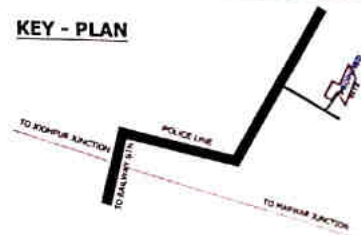


प्रशासन शहरों के संग
अभियान - 2021



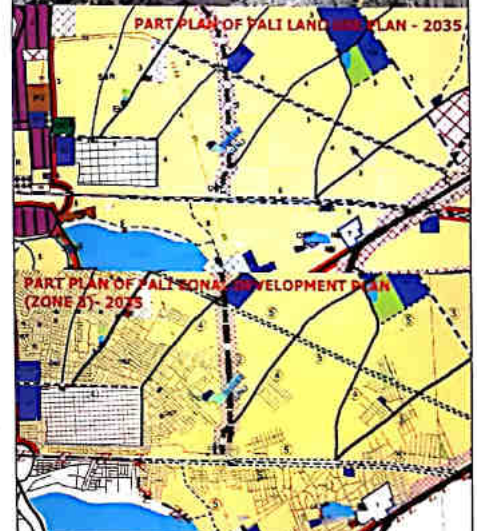
SCALE :- 1" = 50' FEET

KEY - PLAN



AREA ANALYSIS :-

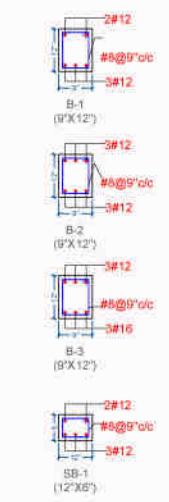
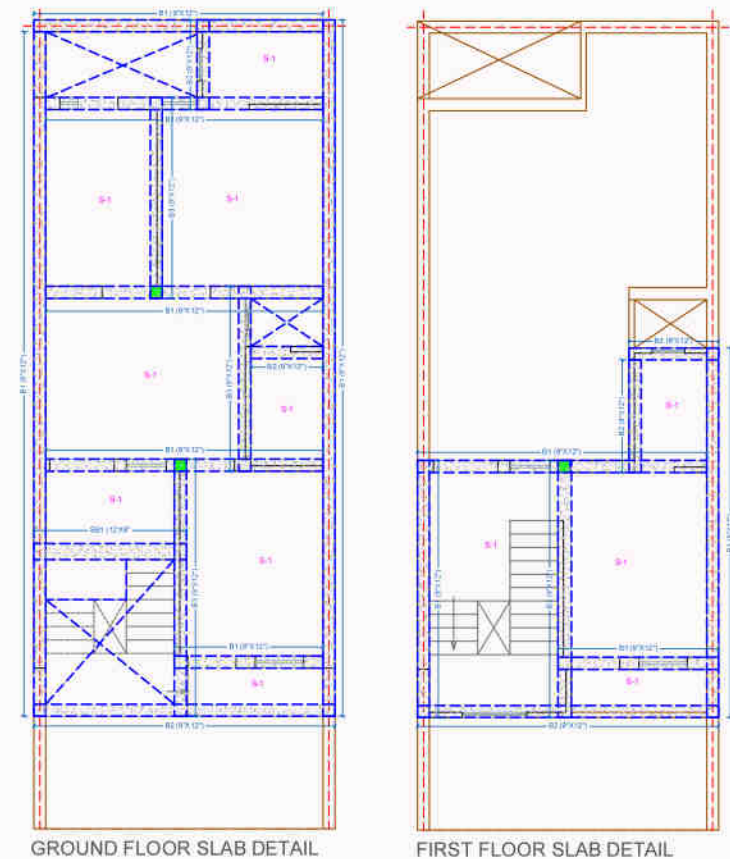
S.NO.	DESCRIPTION	AREA SQ. MTR.	PERCENTS
1	RESIDENTIAL	19607.00	58.99
2	ROAD	13632.02	41.09
	TOTAL	33239.02	100.00



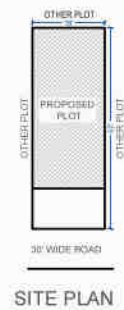
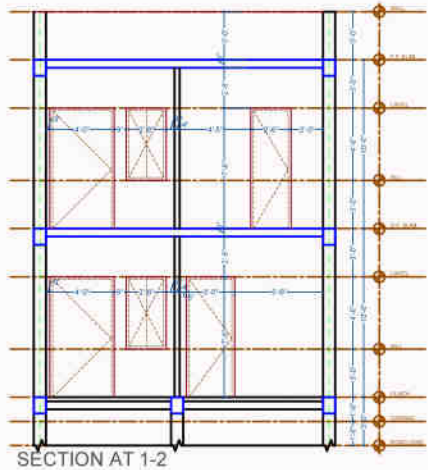
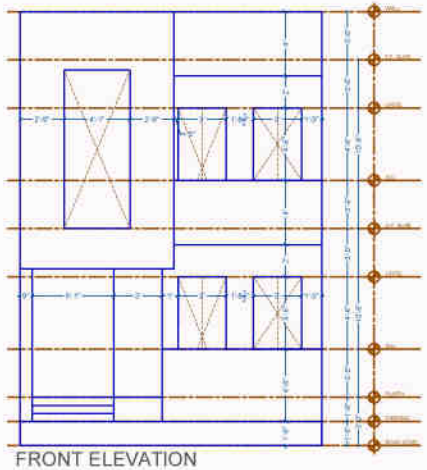
LAYOUT PLAN IS APPROVED AS PER
DIRECTION GIVEN BY UDH DEPARTMENT
WIDE LETTER NUMBER P.3(77)नविवि/3/2010
पार्ट-VIII DATED 30/11/2021 AND DECISION
TAKEN IN LAYOUT PLAN COMMITTEE MEETING
DATED

उक्त योजना पत्रिका का शासन द्वारा नमूने के रूप में उपलब्ध
किया गया है। यदि कोई भी भूखंड 787 का ही
भाग है। उक्त भूखंड गरीबों को नहीं देकर अन्य
भूखंडों को विक्रेता उधार में नही ले

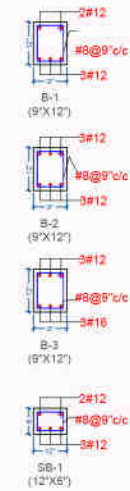
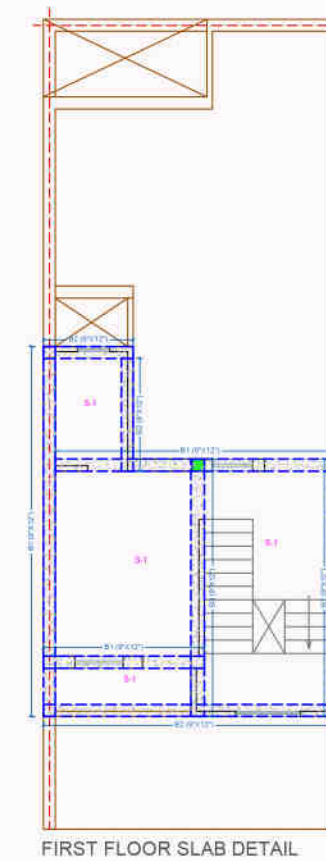
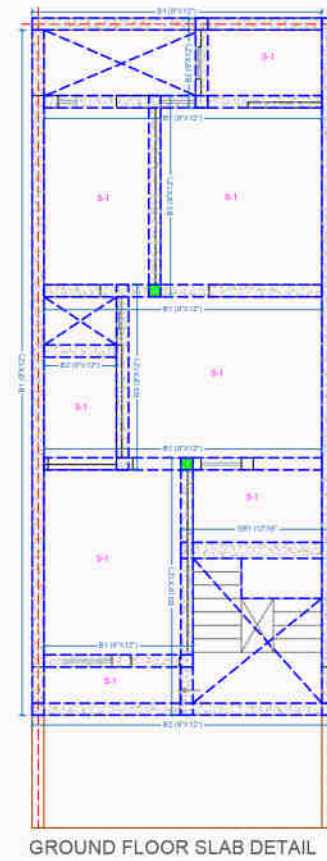
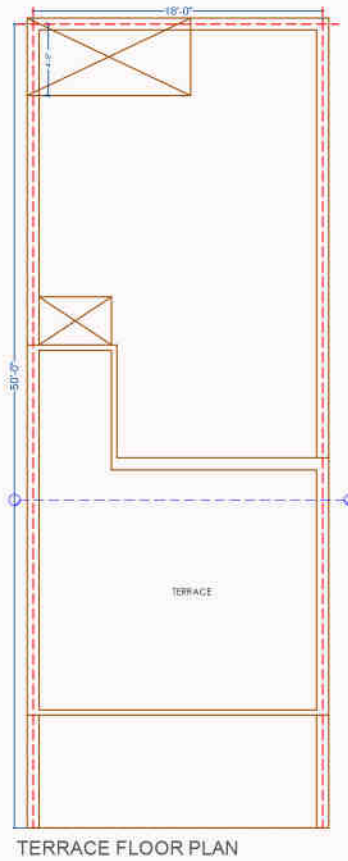
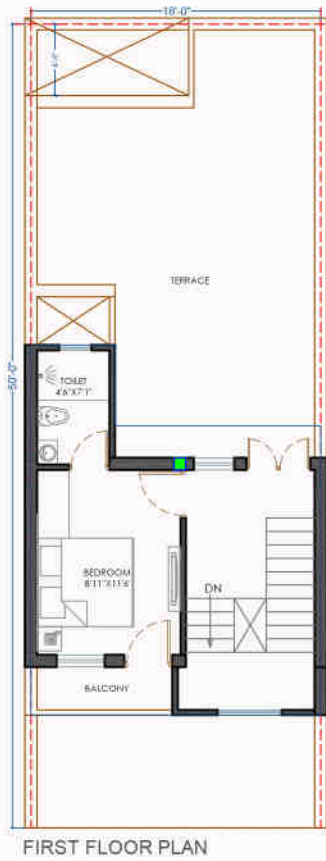
प्रमाणित
का. प्रमाणित
का. प्रमाणित
का. प्रमाणित



Slab	Span	Thickness
B-1 (9'x12')	9'x12'	4.25
B-2 (9'x12')	9'x12'	4.25
B-3 (9'x12')	9'x12'	4.25
SB-1 (12'x8')	12'x8'	4.25

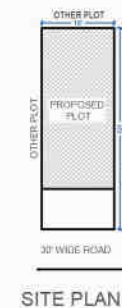
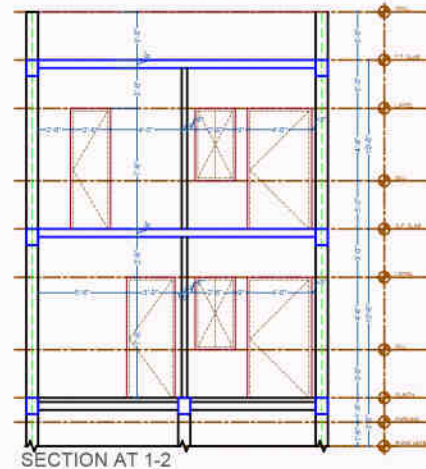
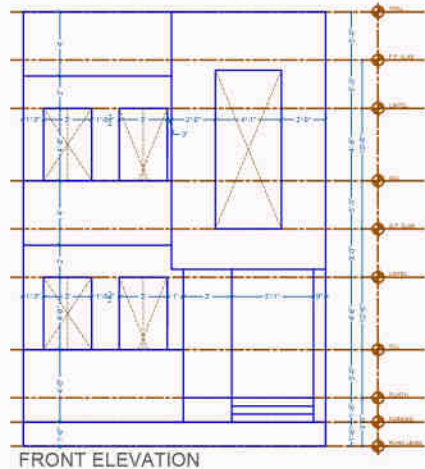


PROJECT TITLE :- BUILDING PLAN IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ASHIYANA) ON KHASRA NO. 387, REVENUE VILLAGE PALI CHAK IIInd AT PALI (RAJ)	FOR PLOT NO. 127 TO 144, 151 TO 169		DIRECTION 	AREA CALCULATION						OWNER SIGN.	ARCHITECT SIGN. Ar Vikram Jangid CA/2019/112029 10/10/2023	ENGINEER SIGN. SANJAY KADAV B.TECH (CIVIL) 10/10/2023	
				FLOORS	BUILT UP AREA		CARPET AREA		BALCONY AREA				
					SQF	SQM	SQF	SQM	SQF				SQM
				GROUND FLOOR	736.40	68.45	505.40	46.97					
				FIRST FLOOR	337.30	31.35	138.50	12.87	22.40				2.08
				TERRACE									
				TOTAL	1073.80	99.80	643.90	59.84	22.40				2.08
PLOT SIZE -18'0"X50'0"		TYPE - 1											



SCHEDULE OF SLABS

SLAB	S-1
LONGER SPAN	9'0" @ 9" C/C
SHORTER SPAN	12'0" @ 9" C/C
THICKNESS	150
CONCRETE	M20



PROJECT TITLE :-
BUILDING PLAN IN RESIDENTIAL
SCHEME (DHARTI ASHIYANA)
ON KHASRA NO. 387, REVENUE
VILLAGE PALI CHAK IInd AT
PALI (RAJ)

FOR PLOT NO.
84 TO 107, 111 TO 126

PLOT SIZE -18'0"X50'0" TYPE - 2

DIRECTION



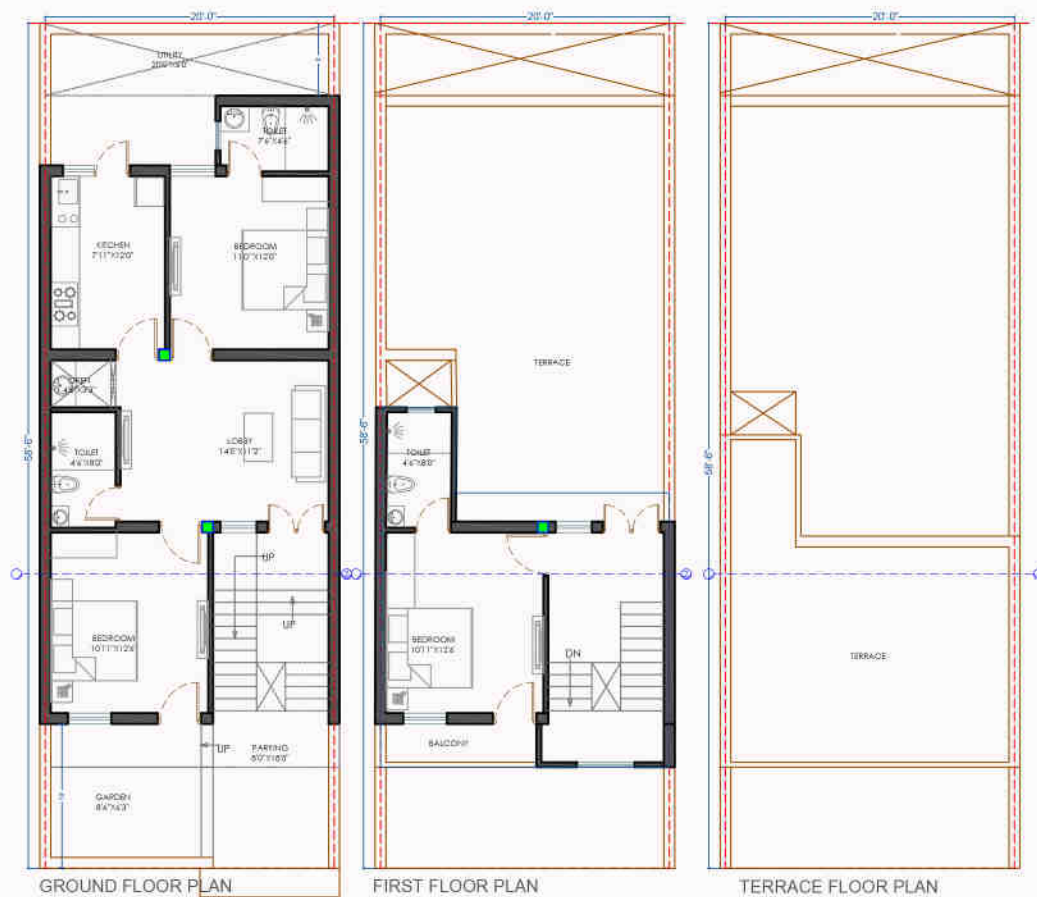
AREA CALCULATION

FLOORS	BUILT UP AREA		CARPET AREA		BALCONY AREA	
	SQF	SQM	SQF	SQM	SQF	SQM
GROUND FLOOR	736.40	68.45	505.40	46.97		
FIRST FLOOR	337.30	31.35	138.50	12.87	22.40	2.08
TERRACE						
TOTAL	1073.80	99.80	643.90	59.84	22.40	2.08

OWNER SIGN.

Ar Vikram Jangid
Ar Vikram Jangid
CA/2019/112029
10/10/2023
ARCHITECT SIGN.

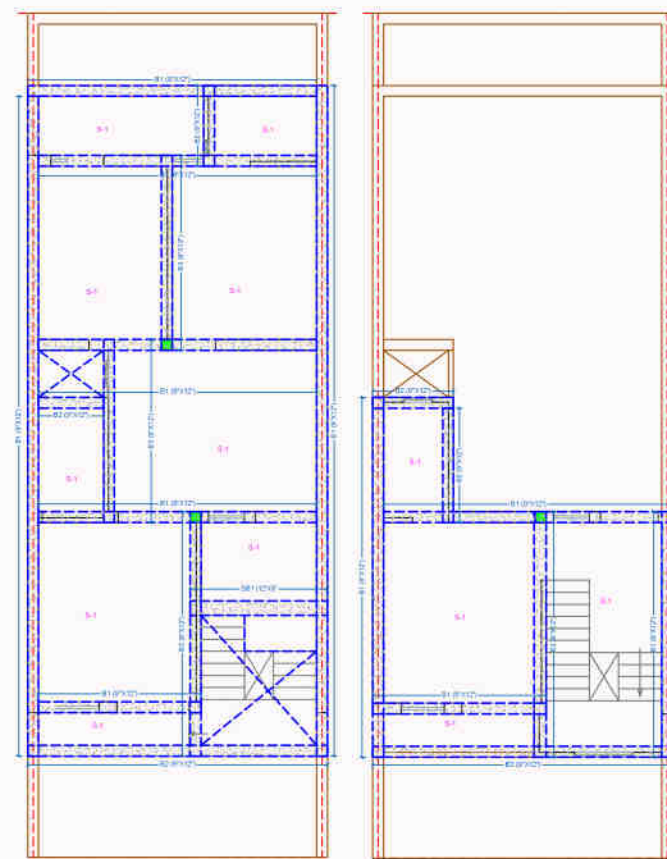
Santosh Yadav
SANTOSH YADAV
B.TECH (CIVIL)
10/10/2023
ENGINEER SIGN.



GROUND FLOOR PLAN

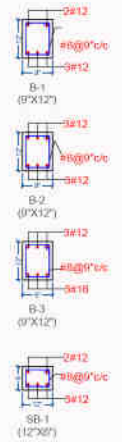
FIRST FLOOR PLAN

TERRACE FLOOR PLAN

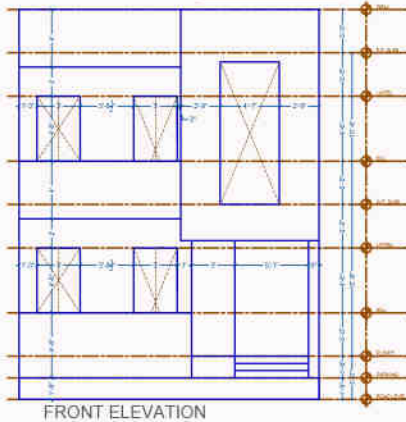


GROUND FLOOR SLAB DETAIL

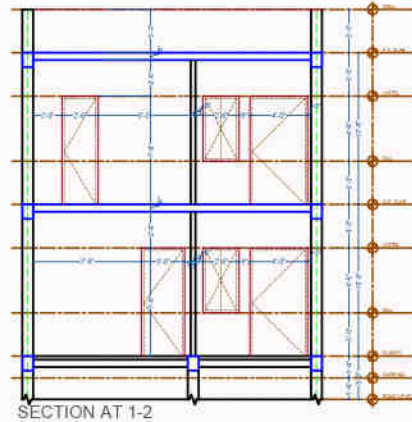
FIRST FLOOR SLAB DETAIL



SCHEDULE OF SLABS	
SLAB	S-1
SLAB AREA	10.11 x 12.26
SLAB THICKNESS	120 mm
SLAB TYPE	CONCRETE



FRONT ELEVATION



SECTION AT 1-2



SITE PLAN

PROJECT TITLE :-
BUILDING PLAN IN RESIDENTIAL
SCHEME (DHARTI ASHIYANA)
ON KHASRA NO. 387, REVENUE
VILLAGE PALI CHAK IIInd AT
PALI (RAJ)

FOR PLOT NO.
187 TO 207

PLOT SIZE - 20'0"X60'0" TYPE - 3

DIRECTION



AREA CALCULATION

FLOORS	BUILT UP AREA		CARPET AREA		BALCONY AREA	
	SQF	SQM	SQF	SQM	SQF	SQM
GROUND FLOOR	925.70	86.03	608.80	56.58		
FIRST FLOOR	396.50	36.85	176.60	16.41	27.80	2.58
TERRACE						
TOTAL	1322.20	122.88	785.40	72.9	27.80	2.58

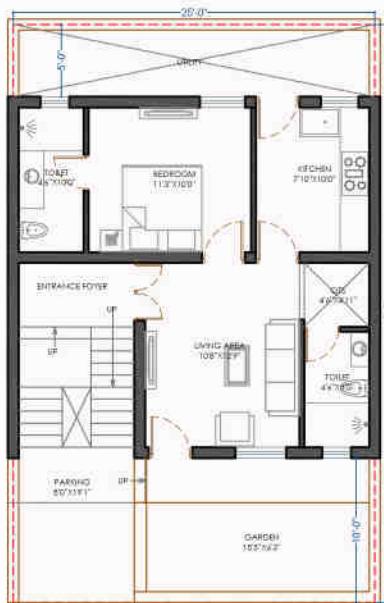
OWNER SIGN

Ar Vikram Jangid
CA/2019/112029
10/10/2023

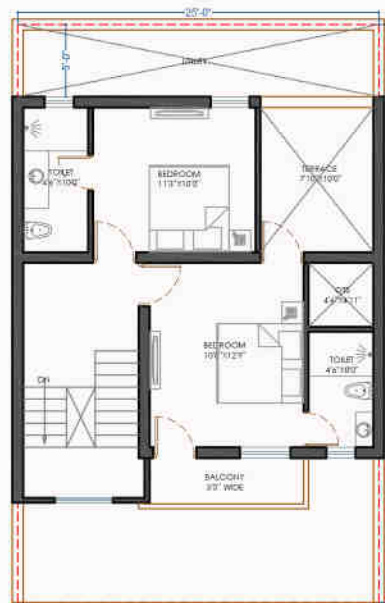
ARCHITECT SIGN

SANJAY KADIAV
B.TECH (CIVIL)
10/10/2023

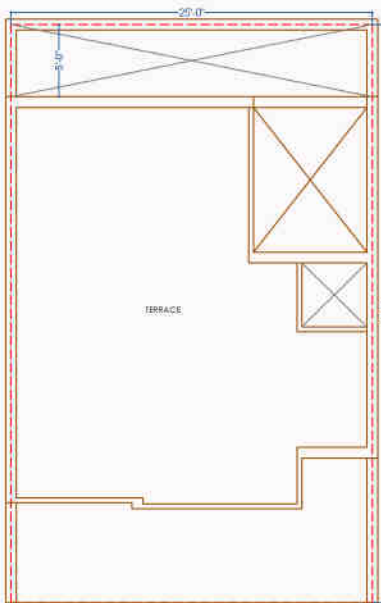
ENGINEER SIGN



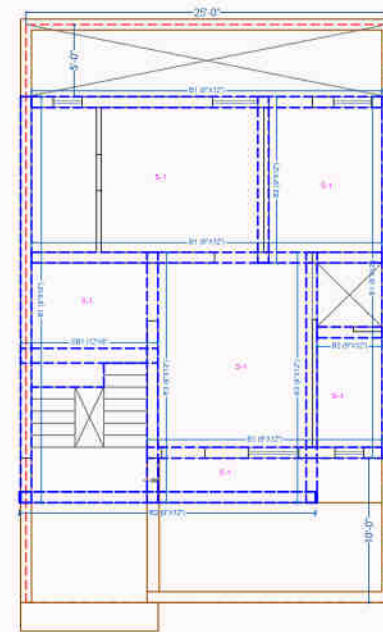
GROUND FLOOR PLAN



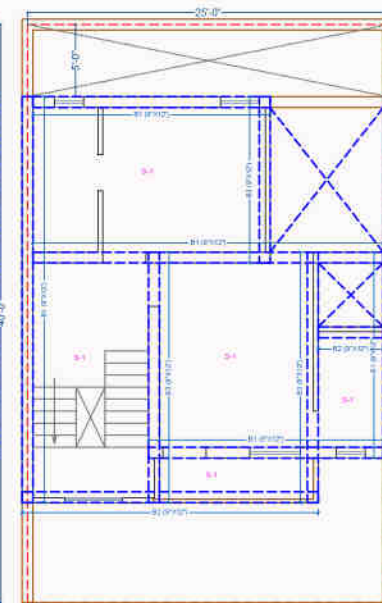
FIRST FLOOR PLAN



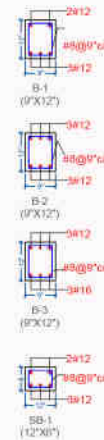
TERRACE FLOOR PLAN



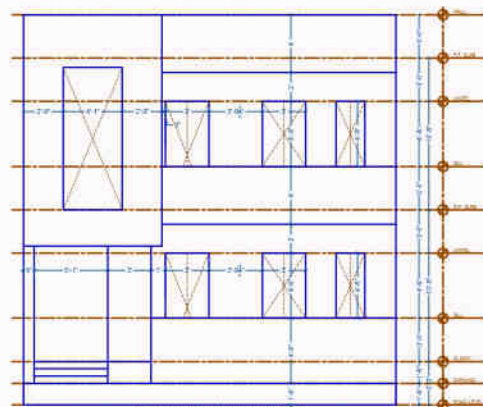
GROUND FLOOR SLAB DETAIL



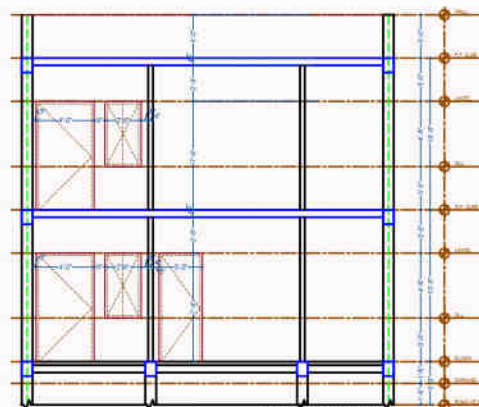
FIRST FLOOR SLAB DETAIL



SCHEDULE OF SLABS	
Slab	S-1
Concrete	M20
Reinforcement	8mm @ 150mm
Thickness	150mm
Location	1st Floor



FRONT ELEVATION



SECTION AT 1-2



SITE PLAN

PROJECT TITLE :-
BUILDING PLAN IN RESIDENTIAL
SCHEME (DHARTI ASHIYANA)
ON KHASRA NO. 387, REVENUE
VILLAGE PALI CHAK IInd AT
PALI (RAJ)

FOR PLOT NO.
14 to 19, 208 TO 216

PLOT SIZE - 25'0"X40'0" TYPE - 5

DIRECTION



AREA CALCULATION

FLOORS	BUILT UP AREA		CARPET AREA		BALCONY AREA	
	SQF	SQM	SQF	SQM	SQF	SQM
GROUND FLOOR	699.60	65.01	441.40	41.02		
FIRST FLOOR	625.60	58.14	337.90	31.40	33.80	3.14
TERRACE						
TOTAL	1325.20	123.15	779.30	72.42	33.80	3.14

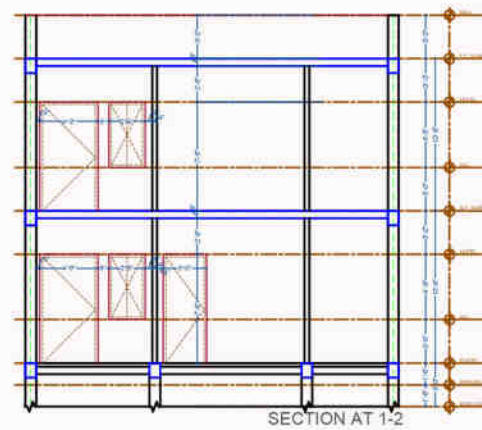
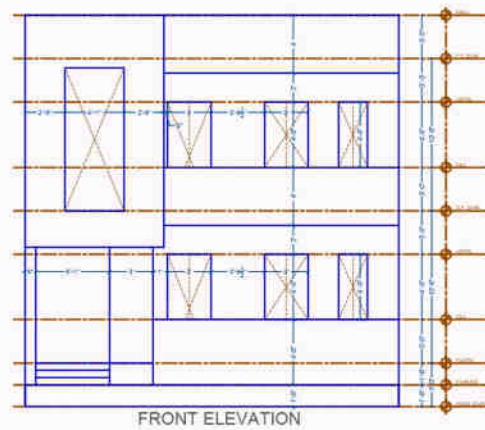
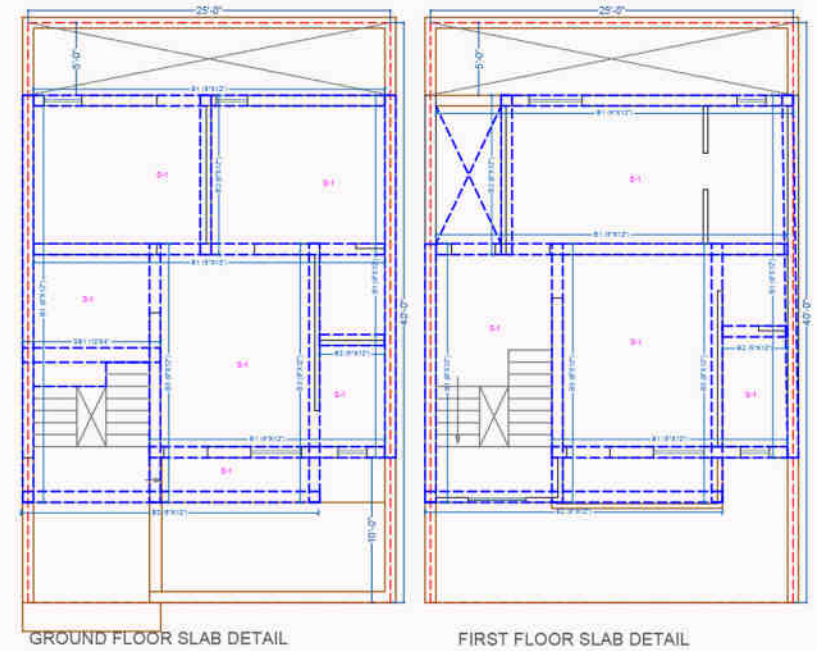
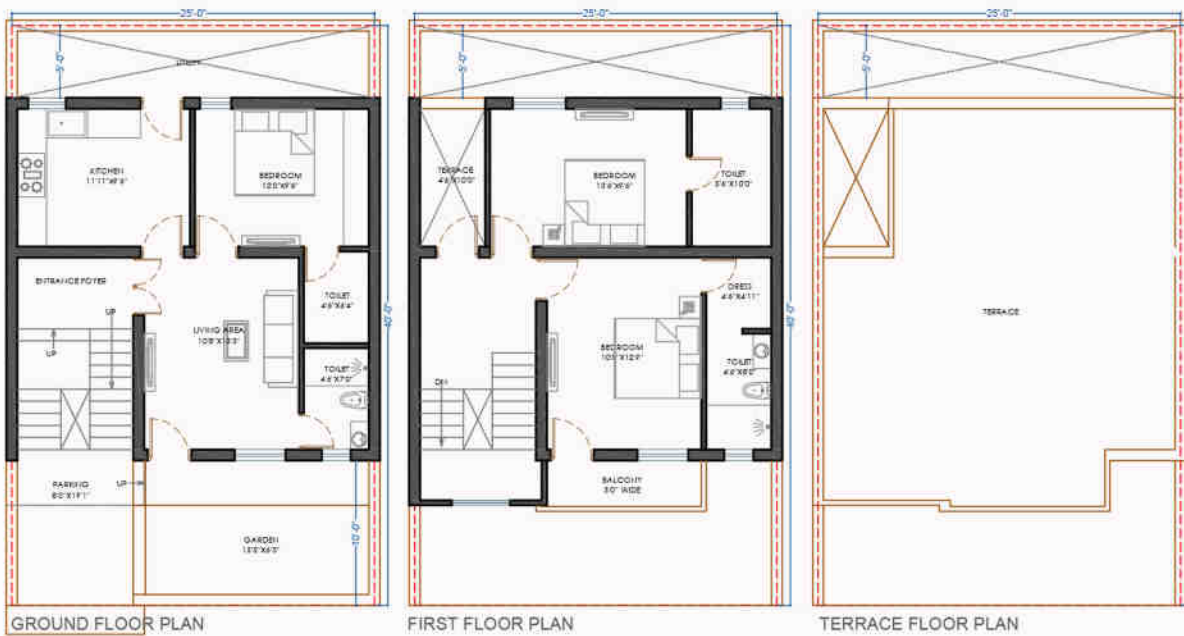
OWNER SIGN

Ar Vikram Jangid
CA/2019/112029
10/10/2023

ARCHITECT SIGN

SANJAY KUMAR
B.TECH (CIVIL)
10/10/2023

ENGINEER SIGN



PROJECT TITLE :-
BUILDING PLAN IN RESIDENTIAL
SCHEME (DHARTI ASHIYANA)
ON KHASRA NO. 387, REVENUE
VILLAGE PALI CHAK IIInd AT
PALI (RAJ)

FOR PLOT NO.
05 TO 12, 23 TO 25

PLOT SIZE - 25'0"X40'0" TYPE - 6

DIRECTION



AREA CALCULATION

FLOORS	BUILT UP AREA		CARPET AREA		BALCONY AREA	
	SQF	SQM	SQF	SQM	SQF	SQM
GROUND FLOOR	688.00	63.94	442.20	41.09		
FIRST FLOOR	637.10	59.21	390.00	36.24	33.80	3.14
TERRACE						
TOTAL	1325.10	123.15	832.20	77.33	33.80	3.14

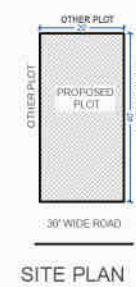
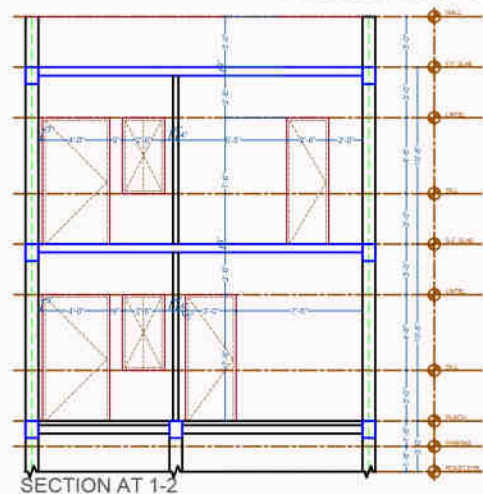
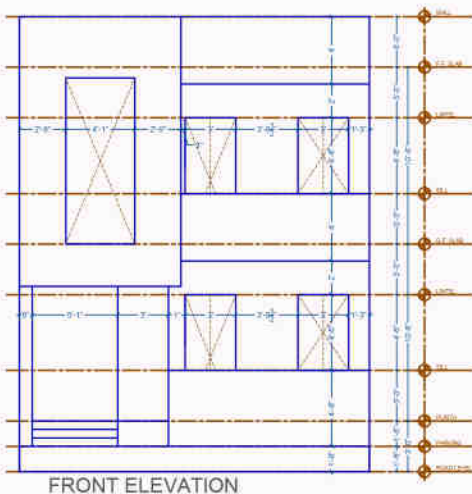
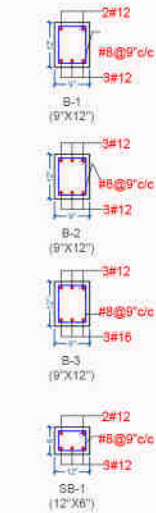
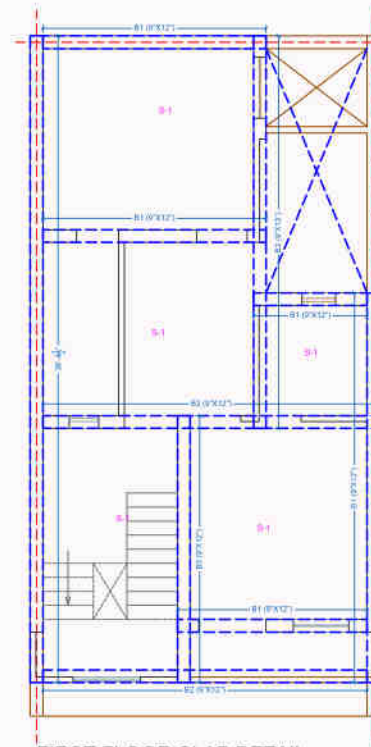
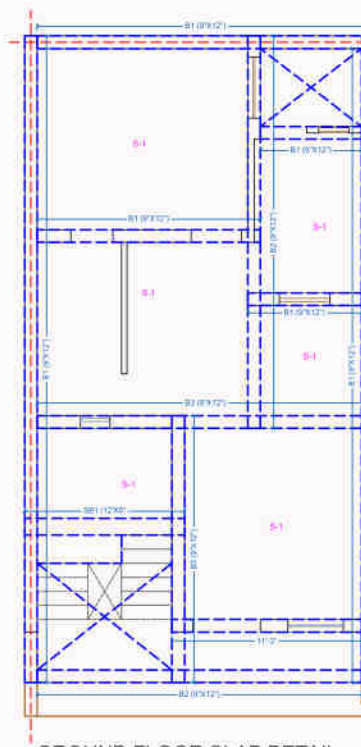
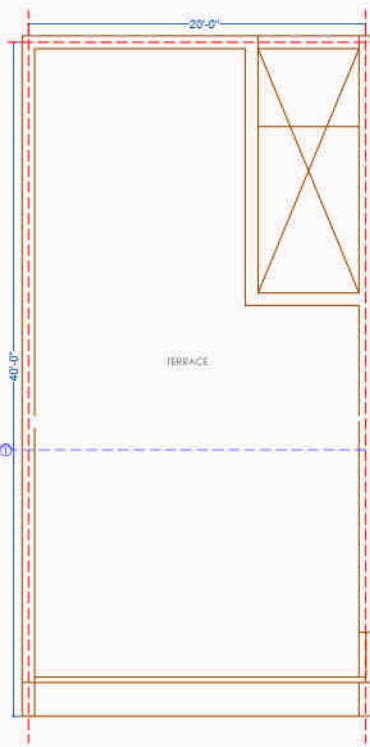
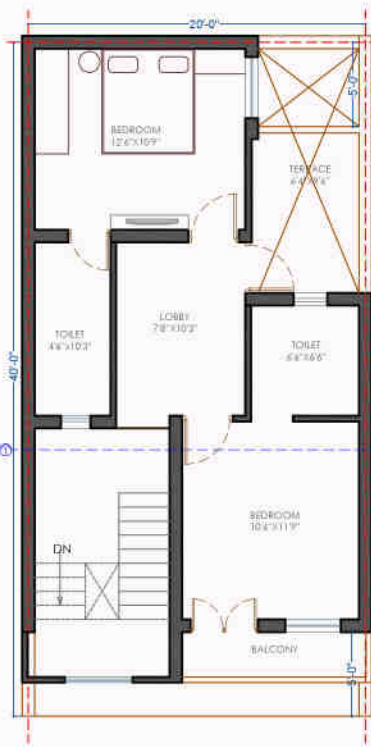
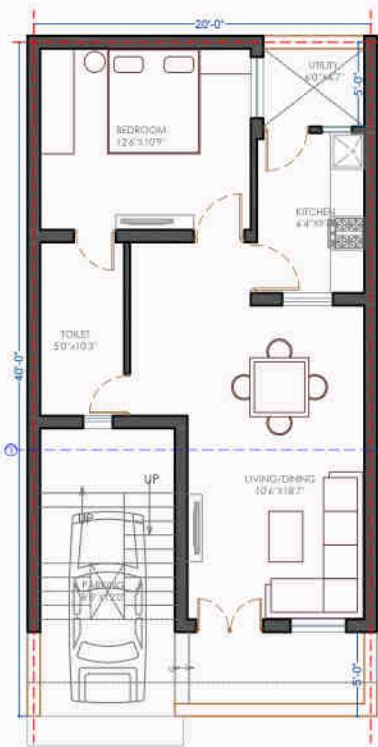
OWNER SIGN.

Ar Vikram Jangid
CA / 2019/112029
10/10/2023

ARCHITECT SIGN.

SANJAY JANGID
B.TECH (CIVIL)
10/10/2023

ENGINEER SIGN.



SCHEDULE OF SLABS	
SLAB	9'x12'
LONGER SPAN	9'x12'
SHORTER SPAN	12'x8'
THICKNESS	12"
CONCRETE	M30

PROJECT TITLE :-
BUILDING PLAN IN RESIDENTIAL
SCHEME (DHARTI ASHIYANA)
ON KHASRA NO. 387, REVENUE
VILLAGE PALI CHAK IInd AT
PALI (RAJ)

FOR PLOT NO.
45 to 51

PLOT SIZE - 20'0"X40'0" TYPE - 7

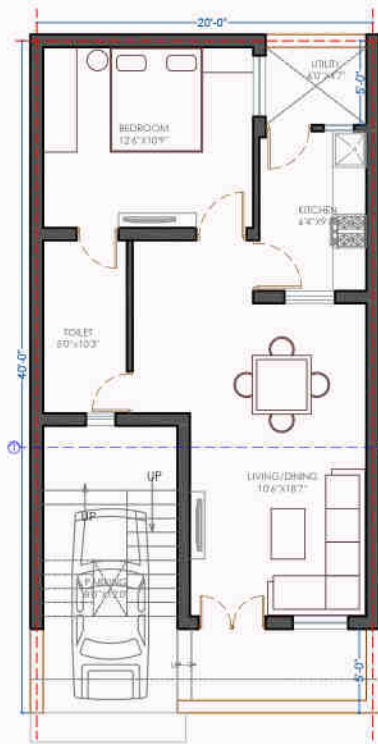


AREA CALCULATION						
FLOORS	BUILT UP AREA		CARPET AREA		BALCONY AREA	
	SQF	SQM	SQF	SQM	SQF	SQM
GROUND FLOOR	760.00	70.63	501.10	46.57		
FIRST FLOOR	661.70	61.49	436.30	40.54	29.00	2.69
TERRACE						
TOTAL	1421.70	132.12	937.40	81.11	29.00	2.69

OWNER SIGN.

ARCHITECT SIGN.

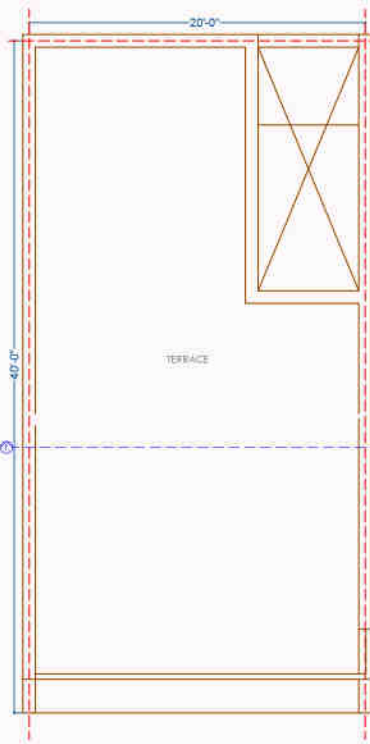
ENGINEER SIGN.



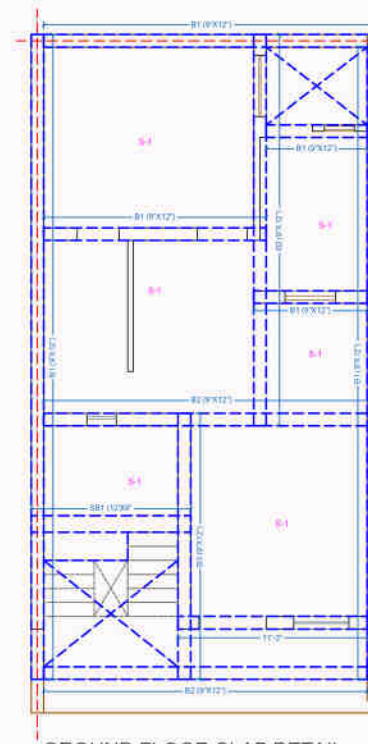
GROUND FLOOR PLAN



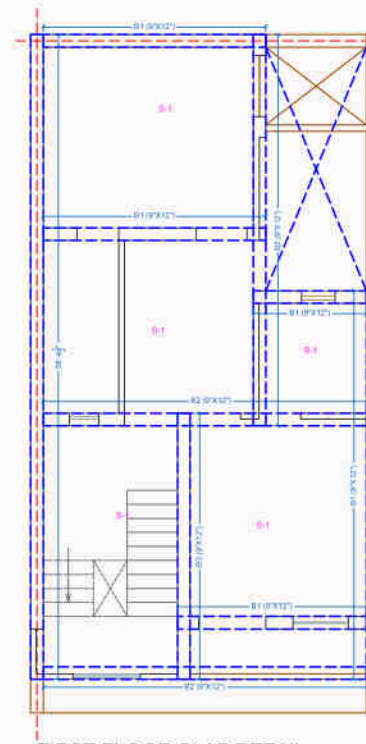
FIRST FLOOR PLAN



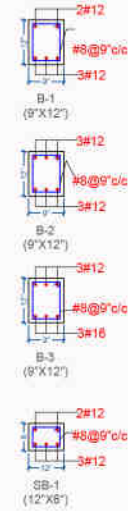
TERRACE FLOOR PLAN



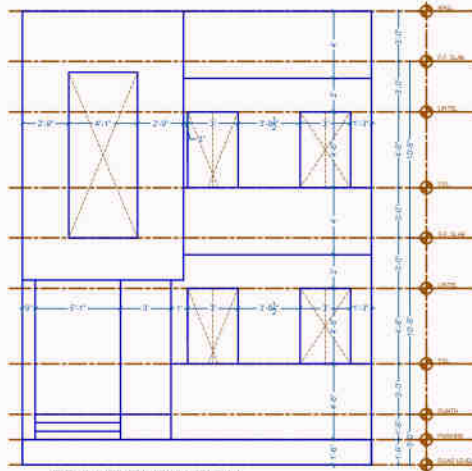
GROUND FLOOR SLAB DETAIL



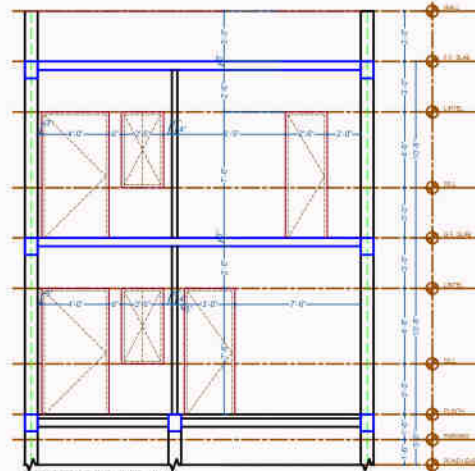
FIRST FLOOR SLAB DETAIL



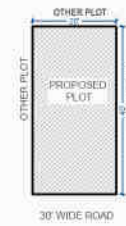
SCHEDULE OF SLABS		
MARK	S-1	
LONGER SPAN	40mm @ 9" C/C	
SHORTER SPAN	40mm @ 8" C/C	
THICKNESS	M-30	
CONCRETE	C	



FRONT ELEVATION



SECTION AT 1-2



SITE PLAN

PROJECT TITLE :-
BUILDING PLAN IN RESIDENTIAL
SCHEME (DHARTI ASHIYANA)
ON KHASRA NO. 387, REVENUE
VILLAGE PALI CHAK IIInd AT
PALI (RAJ)

FOR PLOT NO.
36 to 42

PLOT SIZE - 20'0"X40'0" TYPE - 8

DIRECTION



AREA CALCULATION

FLOORS	BUILT UP AREA		CARPET AREA		BALCONY AREA	
	SQF	SQM	SQF	SQM	SQF	SQM
GROUND FLOOR	760.00	70.63	501.10	46.57		
FIRST FLOOR	661.70	61.49	436.30	40.54	29.00	2.69
TERRACE						
TOTAL	1421.70	132.12	937.40	81.11	29.00	2.69

Ar Vikram Jangid
CA/2019/112029
10/10/2023

SANJAY
B. TECH (CIVIL)
10/10/2023

OWNER SIGN

ARCHITECT SIGN

ENGINEER SIGN